भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 531
मंगलवार, 03 फरवरी, 2026/14 माघ,1947 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारिता लोकपाल

531. **डॉ. संबित पात्राः**

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सहकारिता लोकपाल की नियुक्ति से सहकारी समितियों और सहकारी सदस्यों को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है;
(ख) सहकारी सदस्यों को सहकारिता लोकपाल प्रणाली के बारे में जागरूक करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;
(ग) सहकारिता लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के लिए कौन-कौन से तरीके और नियम निर्धारित किए गए हैं;
(घ) क्या सहकारी सदस्यों को सहकारिता लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज कराने में सक्षम बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जाएगा; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ग): बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन के उपरांत सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.03.2024 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सहकारी ऑम्बड्समैन की नियुक्ति की गई है । सहकारी ऑम्बड्समैन, बहुराज्य सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा अपनी जमाराशियों, समिति की कार्यों के न्यायोचित लाभ या व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करने वाले किसी अन्य विषयों के संबंध में की गई शिकायतों की जांच-पड़ताल करते हैं । सहकारी सूचना अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध किसी सदस्य द्वारा दायर की गई अपील के लिए सहकारी ऑम्बड्समैन अपीलीय प्राधिकारी भी हैं । बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नियम, 2002 ऐसी शिकायतों/अपीलों का दायर करने की एक सरल मानकीकृत प्रक्रिया का प्रावधान करता है । एक नई पहल होने के कारण सदस्यों को शिकायतें दायर करने की प्रक्रिया के बारे में लगातार सलाह और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है ।

(घ) और (ङ): जी हां, मान्यवर । शिकायतों और अपीलों के पारदर्शी, कुशल और प्रौद्योगिकी-चालित प्रबंधन हेतु सहकारी ऑम्बड्समैन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के विकास का कार्य शुरू हो गया है ।

******